भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1647
दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 / 30 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी अतिवाद को खत्म किया जाना

1647 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में हुए वामपंथी हमलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे हमलों के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों की संख्या कितनी है;

(ग) वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) बहुल क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संबंधित राज्य सरकारें वामपंथी गुटों से निपटने में विफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कुछ राज्य सरकारें वामपंथी कार्यकर्ताओं / उग्रवादियों पर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम यूएपीए लगाने के लिए अनिच्छुक हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): वामपंथी उग्रवाद के खतरे को समग्र रूप से निपटने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना'' को मंजूरी दी थी। उक्त नीति के अंतर्गत एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा के उपाय, विकासपरक हस्तक्षेप तथा स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

इस नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में लगातार कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है, जो वर्ष 2010 में 2213 घटनाओं के शीर्ष स्तर से कम होकर वर्ष 2021 में 509 हो गई हैं। इसी तरह, परिणामी मौतें (नागरिक + सुरक्षा बल) भी वर्ष 2010 में 1005 के शीर्ष स्तर से 85% कम होकर वर्ष 2021 में 147 हो गई हैं। कमी का ये सिलसिला 2022 में भी जारी है। 2019 से 2022 तक वामपंथी उग्रवादी हिंसा का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध **I** में दिया गया है।

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1647 दिनांक 21.12.2022

(ख)**:** पिछले तीन वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में मारे गए सुरक्षा कर्मियों (एसएफ) का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	2019	2020	2021	2022 (30 नवंबर 2022 तक)
बिहार	1	0	0	0
छत्तीसगढ़	22	36	45	9
झारखंड	12	1	5	3
महाराष्ट्र	16	3	0	0
ओडिसा	1	2	0	3
तेलंगाना	0	1	0	0
कुल	**52**	**43**	**50**	**15**

(ग): सामाजिक और आर्थिक विकास के मोर्चे पर, गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अन्य मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के अधिकतम कार्यान्वयन के लिए उन मंत्रालयों के साथ गहन समन्वय में कार्य करता है। विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाएं भी लागू की गई हैं जिनमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार में सुधार, शैक्षिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए दो विशेष योजनाओं में 11,600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है।

दूरसंचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 2343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं और अन्य 2542 के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया है।

लोक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए 'विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)' योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए 3105 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, सड़क की मरम्मत, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, शिक्षा संबंधी परियोजना, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं आदि जैसी विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक सशक्तिकरण के संबंध में, ''वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना'' के तहत 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 68 कौशल विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए, पिछले सात वर्षों में 1,258 बैंक शाखाएं, 1,348 एटीएम और 22,202 बैंकिंग करेस्पोंडेट वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में स्थापित किए गए हैं और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 90 जिलों में 4,903 डाकघर खोले गए हैं।

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1647 दिनांक 21.12.2022

उक्त योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-।। के रूप में संलग्न है।

(घ) से (छ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध को रोकना, पता लगाना, दर्ज करना और जांच करना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्य सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों को जहां भी आवश्यक हो लागू किया जा रहा है। यूएपीए के महत्वपूर्ण मामले आवश्यकता के मुताबिक जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जा रहे हैं।

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1647 दिनांक 21.12.2022

अनुलग्नक -I

2019 से 2022 तक वामपंथी उग्रवादी हिंसा का राज्यवार विवरण

राज्य	2019		2020		2021		30 नवम्बर,2022 तक	
	घटनाएँ	मौतें	घटनाएँ	मौतें	घटनाएँ	मौतें	घटनाएँ	मौतें
आंध्र प्रदेश	18	5	12	4	11	1	3	1
बिहार	62	17	26	8	26	7	16	1
छत्तीसगढ़	263	77	315	111	255	101	279	56
झारखंड	200	54	199	39	130	26	118	12
मध्य प्रदेश	5	2	16	2	19	3	20	2
महाराष्ट्र	66	34	30	8	31	6	18	7
ओडिसा	45	11	50	9	32	3	19	10
तेलंगाना	8	2	15	2	5	0	10	2
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
केरल	3	0	2	0	0	0	0	0
कुल	**670**	**202**	**665**	**183**	**509**	**147**	**483**	**91**

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1647 दिनांक 21.12.2022

अनुलग्नक -II/1

आर्थिक और कल्याणकारी योजनाओं का राज्यवार विवरण

1. **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना-I (आरआरपी-I):** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए यह योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 8,585 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5,361 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 5,065 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	सड़कों की लंबाई जिनका निर्माण पूरा कर लिया गया है (कि.मी. में)
आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	617
बिहार	674
छत्तीसगढ़	1,699
झारखंड	760
मध्य प्रदेश	191
महाराष्ट्र	454
ओडिशा	603
उत्तर प्रदेश	67
कुल	**5,065**

2. **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोड कनेक्टिविटी परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए):** यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 12,021 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12,100 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी गई है। इनमें से, 6,561 किमी सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	सड़कों की लंबाई, जिनका निर्माण पूरा कर लिया गया है (कि.मी. में)
आंध्र प्रदेश	925
बिहार	1425
छत्तीसगढ़	1700
झारखंड	1178
मध्य प्रदेश	49
महाराष्ट्र	247
ओडिशा	371
तेलंगाना	301
उत्तर प्रदेश	365
कुल	**6,561**

3. **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना:** इस योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में कौशल विकास अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना की गई है। शुरूआत में, 34 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) (एक आईटीआई प्रति जिला) और 68 कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) (2 एसडीसी प्रति जिला) के साथ 34 जिलों को कवर किया गया था। वर्ष 2016 में, तत्कालीन सभी सर्वाधिक प्रभावित जिलों को कवर करने के लिए 13 नए जिलों में 13 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को जोड़ा गया था, जिससे 407.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ, इनकी कुल संख्या 47 आईटीआई और 68 एसडीसी हो गई हैं। इनमें से 43 आईटीआई और 38 एसडीसी चल रहे हैं। राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	**आईटीआई**	**एसडीसी**
	जो चल रहे हैं	**जो चल रहे हैं**
आंध्र प्रदेश	01	-
बिहार	09	-
छत्तीसगढ़	09	14
झारखंड	16	09
मध्य प्रदेश	01	02
ओडिशा	05	10
तेलंगाना	-	02
उत्तर प्रदेश	01	01
पश्चिम बंगाल	01	-
कुल	**43**	**38**

4. **एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएसआरएस):** यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत कुल 245 ईएमआरएस में से, 103 ईएमआरएस पिछले 3 वर्षों के दौरान ही स्वीकृत किए गए हैं, जबकि इससे पहले 21 वर्ष की अवधि के दौरान 142 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे। अब तक, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित पूर्ववर्ती 90 (जून 2021 तक) जिलों में 245 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं।

राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	**अनुमोदित/स्वीकृत**	**चल रहे**
आंध्र प्रदेश	24	24
बिहार	03	-
छत्तीसगढ़	44	44
झारखंड	78	05
केरल	02	02
मध्य प्रदेश	07	07
महाराष्ट्र	09	08
ओडिशा	64	18
तेलंगाना	12	12
उत्तर प्रदेश	01	-
पश्चिम बंगाल	01	01
कुल	**245**	**121**

5. **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना:** इस परियोजना के चरण-I के तहत 4080.78 करोड़ रुपये की लागत से 2,343 मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे। अप्रैल 2022 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन 2G साइटों को 4G में अपग्रेड करने की मंजूरी दी थी। नवंबर 2022 में अपग्रेडेशन का यह कार्य अवार्ड किया गया है। इस परियोजना के चरण-II के तहत 2542 मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिया गया है। राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	**चरण-I**	**चरण-II**
	स्थापित मोबाइल टावर	**कार्य आदेश जारी किया गया**
आंध्र प्रदेश	62	346
बिहार	250	16
छत्तीसगढ़	525	971
झारखंड	816	450
मध्य प्रदेश	22	23
महाराष्ट्र	65	125
ओडिशा	256	483
तेलंगाना	173	53
उत्तर प्रदेश	78	42
पश्चिम बंगाल	96	33
कुल	**2343**	**2542**

6. **वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बैंकिंग आउटलेट और डाकघर:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में खोले गए बैंकिंग आउटलेट और डाकघरों का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	**वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में बैंक टच प्वाइंट (दिनांक 01.04.2015 से 30.04.2022)**		
	बैंक शाखाएं	**एटीएम**	**बैंकिंग करस्पांडेंस**
आंध्र प्रदेश	150	339	2099
बिहार	144	45	4011
छत्तीसगढ़	260	231	3826
झारखंड	421	446	9716
महाराष्ट्र	79	44	587
ओडिशा	49	95	1144
तेलंगाना	155	148	819
कुल	**1258**	**1348**	**22202**

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 32 जिलों में डाकघर

राज्य	**कुल**	**चरण-I (फरवरी 2017 से अप्रैल 2019)**	**चरण-II (2021-22)**
आंध्र प्रदेश	307	95	187
बिहार	230	50	180
छत्तीसगढ़	1224	740	391
झारखंड	999	654	244
मध्य प्रदेश	511	0	511
महाराष्ट्र	675	142	687
ओडिशा	247	40	272
तेलंगाना	486	68	418
उत्तर प्रदेश	224	0	224
कुल	**4903**	**1789**	**3114**

राज्य सभा अता. प्र. सं. 1647 दिनांक 21.12.2022

अनुलग्नक -II/5

7. **एससीए योजना:** राज्यों को आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य	**जारी निधियां (करोड़ रूपये में)**
आंध्र प्रदेश	**92.58**
बिहार	**439.15**
छत्तीसगढ़	**834.81**
झारखंड	**1308.12**
महाराष्ट्र	**65.83**
ओडिशा	**234.33**
तेलंगाना	**105.92**
मध्य प्रदेश	**22.50**
केरल	**2.50**
कुल	**3105.74**
